

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.8(6)नविवि/II/72

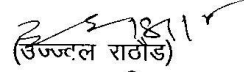
जयपुर दिनांक: 8 DEC 2013

आदेश

श्री परसराम मोरदिया, जिनको इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-8(6)नविवि/II/72 दिनांक 20-11-2011 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ने राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष पद से दिनांक 16-12-2013 के पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अग्रिम आदेशों तक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के रूप में नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(उज्ज्वल राठी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 श्री परसराम मोरदिया, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नविवि/II/84

जयपुर दिनांक: 8 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री हाजी मकसूद अहमद को नगर विकास न्यास, बीकानेर में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री हाजी मकसूद अहमद द्वारा दिनांक 10-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री हाजी मकसूद अहमद का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, बीकानेर के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

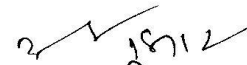
उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, बीकानेर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदीप सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, बीकानेर
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
- 8 श्री हाजी मकसूद अहमद, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
- 9 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नविवि/II/84

जयपुर दिनांक: 18 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री रूप कुमार खुराना को नगर विकास न्यास, उदयपुर में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री रूप कुमार खुराना द्वारा दिनांक 12-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री रूप कुमार खुराना का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, उदयपुर के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, उदयपुर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, उदयपुर।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
- 8 श्री रूप कुमार खुराना, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
- 9 रक्षित पत्रावली।

3/5/1812
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 8 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री रविन्द्र त्यागी को नगर विकास न्यास, कोटा में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री रविन्द्र त्यागी द्वारा दिनांक 12-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री रविन्द्र त्यागी का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, कोटा के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, कोटा को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, कोटा।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
- 8 श्री रविन्द्र त्यागी, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा।
- 9 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नविवि/11/84

जयपुर दिनांक: 18 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री हरीश चौधरी को नगर सुधार न्यास, आबू में तीन वर्ष जयपुर अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री हरीश चौधरी द्वारा दिनांक 11-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, आबू के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरीश चौधरी का अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, आबू के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, आबू के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, सिरोंही को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, सिरोंही।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, आबू।
- 8 श्री हरीश चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, आबू।
- 9 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 8 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री ज्योति काण्डा को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री ज्योति काण्डा द्वारा दिनांक 10-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री ज्योति काण्डा का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
- 8 श्री ज्योति काण्डा, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
- 9 रक्षित पत्रावली।

2/12/13
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 18 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री रामपाल शर्मा को नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री रामपाल शर्मा द्वारा दिनांक 11-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री रामपाल शर्मा का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(गुरदयाल सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
- 8 श्री रामपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
- 9 रक्षित पत्रावली।

2/18/13 ✓
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 08 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री प्रदीप कुमार आर्य को नगर विकास न्यास, अलवर में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री प्रदीप कुमार आर्य द्वारा दिनांक 08-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री प्रदीप कुमार आर्य का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

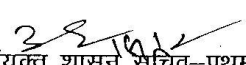
उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, अलवर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, अलवर।
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
- 8 श्री प्रदीप कुमार आर्य, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर।
- 9 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 18 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 4(1)(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा दिनांक 08-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी का अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

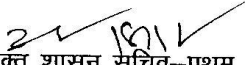
अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक संभागीय आयुक्त, जोधपुर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदयाल सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 संभागीय आयुक्त, जोधपुर,
- 6 जिला कलक्टर, जोधपुर
- 7 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 9 श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 10 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(32)नवि/II/84

जयपुर दिनांक: 8 DEC 2013

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-12-2011 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री उम्मेद सिंह तंवर को नगर विकास न्यास, जैसलमेर में तीन वर्ष अथवा अन्य आदेश, जो भी पहले हो, तक अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

श्री उम्मेद सिंह तंवर द्वारा दिनांक 08-12-2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जैसलमेर के पद से त्याग पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर श्री उम्मेद सिंह तंवर का अध्यक्ष नगर विकास न्यास, जैसलमेर के पद से त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जैसलमेर के रिक्त पद का कार्यभार अग्रिम आदेशों तक जिला कलक्टर, जैसलमेर को दिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदेव सिंह सन्धु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5 जिला कलक्टर, जैसलमेर
- 6 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
- 8 श्री उम्मेद सिंह तंवर, पूर्व अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
- 9 रक्षित पत्रावली।

2/2
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम